

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध/पार्ट-2/691 भोपाल, दिनांक 02/09/2016

//परिपत्र//

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि मण्डी समिति के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका दो प्रतियों में नहीं रखी जाती है। सेवा पुस्तिका कार्यालयीन आवश्यक अभिलेख है, जिसमें कर्मचारी के सेवाकाल का पूर्ण विवरण संधारित होता है। यदि दुर्भावनावश एक सेवापुस्तिका गुम हो जाती है तो दूसरा सेवापुस्तिका उपयोग में लाया जा सकता है।

अतः समस्त आंचलिक अपर/संयुक्त/उप संचालक एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, को निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति सेवा के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका दो प्रतियों में बनवाकर कार्यालय में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक (कार्मिक)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल.

कमांक./मंडी कार्मिक/बी-1/ विविध/पार्ट-2/692 भोपाल, दिनांक 02/09/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक (निरीक्षण) म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर/संयुक्त/उप संचालक, म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा।
3. सहायक संचालक (बोर्ड कार्मिक) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला.....
5. आदेश नस्ती।

अपर संचालक (कार्मिक)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल.